## राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.10(15)नविवि/3/2013 जयपुर, दिनांक :- 22 DEC 2014

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम,
समस्त।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।

विषय :- मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां, 2014 की क्रियान्विति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 11.12.2014 के द्वारा "मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां, 2014" जारी किया गया है। उक्त उपविधियों की क्रियान्विति के समय यह सुनिश्चित किया जावें कि, "किसी भी भवन में जो निर्माण इन विनियमों के तहत नियमन योग्य नहीं है, ऐसे निर्माण को हटाने के पश्चात् ही भवन के शेष नियमन योग्य निर्माण का इन विनियमों के तहत नियमन किया जा सकेगा। अर्थात निर्मित भवन में एक यां एक से अधिक मानदण्डों का उल्लघंन होने पर सभी मानदण्डों के उल्लघंनों की नियमन योग्य सीमा तक एक साथ नियमितिकरण किया जावे तथा यदि कोई भी उल्लंघन नियमन योग्य नहीं है तो उसको हटाये जाने तक किसी अन्य मानदण्ड का भी नियमन नहीं किया जावे।"

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त स्थानीय निकायों को उपरोक्तानुसार निर्देशित किये जाने हेतु।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय